



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

CIN: U40108JH2013SGC001704

पंजीकृत कार्यालय : एस एल डी सी भवन, कुसई कॉलोनी, डोरन्डा, रांची - 834002, झा

वरीय प्रबंधक का कार्यालय, संचरण प्रमंडल, हज़ारीबाग

प्रमंडल कार्यालय : शृंगारी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, कनहरी हिल पथ, मॉन्ट फोर्ट विद्यालय के निकट, हज़ारीबाग- 825301

ई-मेल : eeetdhzb@gmail.com

पत्रांक: 85...../वरीय प्रबंधक/सं०प्र० ह०बाग
प्रेषक

दिनांक: 14/02/2023

वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमंडल, हज़ारीबाग,
सेवा में,
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हज़ारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

विषय:-ग्राम – खोडाहार, प्रखण्ड-बरही, जिला – हज़ारीबाग स्थित प्रस्तावित 132/33 kV ग्रिड सब स्टेशन के लिए रकबा 4.04 हे० वन भूमि अपयोजन के एवज़ में क्षतिपुरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग : (i) उपायुक्त हज़ारीबाग का ज्ञापांक 6420; दिनांक 17.12.2022
(ii) अंचल अधिकारी पद्मा का पत्रांक 145; दिनांक 14.07.2022
(iii) आपके कार्यालय का पत्रांक 2584; दिनांक 22.07.2022
(iv) आपके कार्यालय का पत्रांक 2829; दिनांक 08.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में विनय पूर्वक कहना है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम – खोडाहार, प्रखण्ड-बरही, जिला – हज़ारीबाग में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के एवज़ में क्षतिपुरक वनरोपण हेतु अंचल अधिकारी पद्मा का पत्रांक 145; दिनांक 14.07.2022 द्वारा मौज़ा-अडार, अंचल-पदमा अंतर्गत खाता सं 104, प्लॉट सं 2013, रकबा 20 एकड़ का चुनाव किया गया एवं उपायुक्त हज़ारीबाग का ज्ञापांक 6420; दिनांक 17.12.2022 के माध्यम से भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया ।

विगत हो कि उक्त चयनित भूमि का वनक्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रक्षेत्र द्वारा जांच की जा चुकी है एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 2584; दिनांक 22.07.2022 एवं पत्रांक 2829; दिनांक 08.08.2022 के निर्देशानुसार इस पत्र के साथ क्षतिपुरक वनरोपण हेतु चिन्हित भूमि का KML file, DGPS map एवं toposheet map (09 प्रतियों में) बनाकर आपके कार्यालय में अग्रतर कार्यवाही के लिए समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक : यथोपरि

विश्वासभाजन

14.02.23

वरीय प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल, हज़ारीबाग

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक/रा0

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड,
डोरंडा, राँची।

हजारीबाग, दिनांक/2022

विषय :- हजारीबाग जिला का बरही अंचल अन्तर्गत मौजा-खोड़ाहार में JUSNL का 132/33 KV ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण के लिये वन भूमि अपयोजन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के प्रयोजनार्थ पदमा अंचल का मौजा-अडार, थाना संख्या-32, खाता संख्या-104, प्लॉट संख्या-2013, रकवा-20.00 एकड़ गैरमजरुआ खास किस्म जंगल भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पक्ष में अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।

आदेश - स्वीकृत

अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही हजारीबाग के पत्रांक 1677/सा0 दिनांक 25.11.2020 द्वारा हजारीबाग जिला का बरही अंचल अन्तर्गत मौजा-खोड़ाहार में JUSNL का 132/33 KV ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण के लिये वन भूमि अपयोजन हेतु क्षतिपूरक वनरोपण के प्रयोजनार्थ पदमा अंचल अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण अभिलेख संख्या-01/2020-21 उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

अंचल	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
पदमा	अडार	32	104	2013	20.00	गैरमजरुआ खास किस्म जंगल

शर्तें

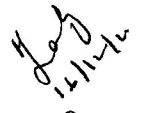
1. भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् यदि उपायुक्त को पुनः अनुपयोजित भूमि की आवश्यकता होती है तो यथास्थिति संबंधित विभाग से भूमि वापस लिया जा सकेगा
2. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तान्तरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
3. इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनी, सोसाईटी, सहकारी संस्था, ट्रस्ट अन्य विभाग या अन्य किसी को किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए हस्तान्तरण (स्थायी अथवा अस्थायी), आवासीय, व्यावसायिक / औद्योगिक उपयोग अथवा किसी भी अन्य उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है।
4. अन्य सभी शर्तें इस्टेट मैनुयल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

H0/-

उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक6420...../रा0 हजारीबाग, दिनांक17/12/2022

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पदमा को मूल अभिलेख संख्या 01/2020-21 संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि Website में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि उक्त भूमि को प्रतिबंधित सूची में दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे।
- प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय प्रबंधक, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग को उनके पत्रांक 582 दिनांक 19.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त, हजारीबाग।

कार्यालय अंचल अधिकारी पदमा, हजारीबाग ।

पत्रांक.....145.....

प्रेषक ,

अंचल अधिकारी,
पदमा ।

सेवा में,

अपर समाहर्ता,
हजारीबाग ।

पदमा, दिनांक 14 जुलाई, 2020

विषय :- ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण हेतु वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव के लिए समतुल्य भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक सं० 2731, दिनांक 13.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल पदमा हल्का संख्या IV मौजा अडार, थाना नं० 32 खाता संख्या 104 प्लॉट नं० 2013 रकवा 98.20 ए० मध्य रकवा 20.00 ए० गैरमजरूआ खास किस्म जंगल, वर्तमान में परती भूमि पर आम इस्तेहार निर्गत किया गया, परन्तु ग्राम अडार के ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः मौजा अडार, थाना नं० 32 खाता संख्या 104 प्लॉट नं० 2013 रकवा 98.20 ए० मध्य रकवा 20.00 ए० गैरमजरूआ खास भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है ।

अनुलग्नक :- नक्शा सलग्न ।

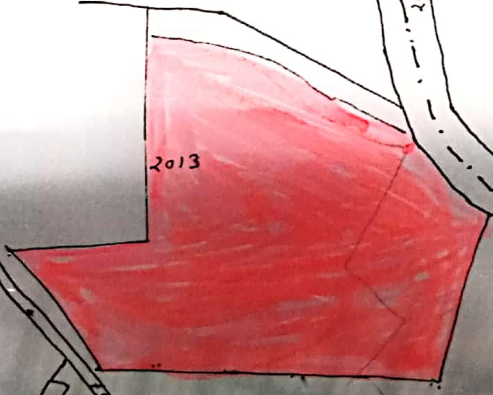
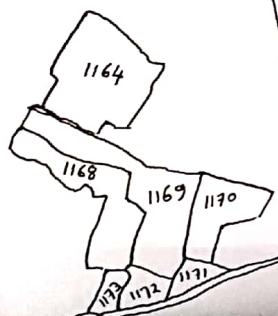
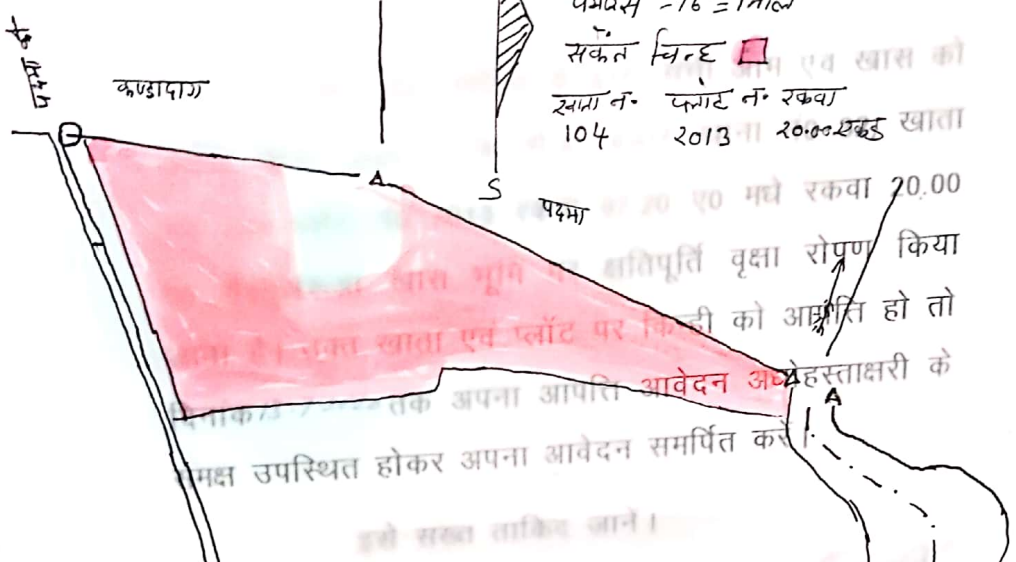
विश्वासभाजन


अंचल अधिकारी
पदमा ।

वन भूमि के अपमान के
लिए प्रस्तावित के लिए समतुल्य
भूमि में शर्तपूर्ण वृक्षारोपण
के लिए वन भूमि प्रस्तावित
का नक्शा है

मौजा - जडाट चानं २
थाना नं ३२
भाना - ओं पी. प्रमा वरही
परगना - वरमान
जिला हजारीबाग
पैमप्रस - १६" = १ मील
सकंत चिन्ह

खाना नं. १०४
प्लॉट नं. २०१३
रकबा २०.०० एकड़



अनंत कुमार
१०/७/२०२०
अधीनस्थ अधिकारी
पदमा

१०/७/२०२०
१६६६६६

अधीनस्थ अधिकारी
पदमा, हजारीबाग

कार्यालय अंचल अधिकारी पदमा, हजारीबाग ।

ज्ञापांक - 133

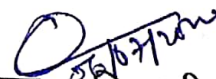
दिनांक - 6.7.2020

नोटिस

वजरीय इस नोटिस के द्वारा सभी आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मौजा अडार, थाना नं० 32, खाता सं० 104 प्लॉट नं० 2013 रकवा 97.20 ए० मध्ये रकवा 20.00 ए० गैरमजरूआ खास भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण किया जाना है। उक्त खाता एवं प्लॉट पर किन्ही को आपत्ति हो तो दिनांक 13.7.2020 तक अपना आपत्ति आवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन समर्पित करें।

इसे सख्त ताकिद जानें।




अंचल अधिकारी
पदमा।



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghw@rediffmail.com & dfo-hazaribaghw@gov.in

पत्रांक: 2829

दिनांक: 08/8/2022

सेवा में,

वरीय प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल,
श्रृंगारी कॉम्पलेक्स,
प्रथम तल, कनहरी हिल पथ,
मोंट फोर्ट विद्यालय के निकट,
हजारीबाग।

विषय:-

प्रस्तावित 132/33 के0बी0 ग्रीड सबस्टेशन ग्राम खोडाहार प्रखण्ड बरही, जिला हजारीबाग में रकवा 4.04 हे0 वन भूमि अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक 3444 29.09.2021, पत्रांक 2584 दिनांक 22/7/22 एवं आपका पत्रांक 416 दिनांक 05.10.2021, पत्रांक 205 दिनांक 10.05.2022 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, रांची का पत्रांक 754 दिनांक 04.08.2022 (छाया प्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग के पत्रांक 2717 दिनांक 19.07.2019 द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि का नक्शा (DGPS KML) सहित अनापति प्रमाण पत्र/ उपयुक्तता प्रमाण पत्र क्षतिपूरक वनरोपण योजना के साथ मांग की गई थी। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा मौजा -अडार, थाना नं0-32, खाता संख्या -104, प्लॉट संख्या -2013, रकवा -98.20 एकड़ मध्य रकवा 20 एकड़ गैर मजरूआ खास किरम जंगल भूमि को चिन्हित करते हुए अभिलेख समर्पित किया गया था। जिसका स्थलीय सत्यापन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही पक्षेत्र द्वारा अपने पत्रांक 307 दिनांक 08.07.2022 एवं पत्रांक 308 दिनांक 13.07.2022 द्वारा प्रस्तावित स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। जिससे अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

अतः पुनः अनुरोध है कि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि का नक्शा (DGPS KML) हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ 08 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन ससमय उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जा सके।

अनु०यथोक्त।

विश्वासभाजन

1/03/22

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

8

E. Maulan
06.08.2022

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

पत्रांक:- 75A दिनांक:- 04.08.2022

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी/चतरा उत्तरी।

6.8.22 विषय :-

हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड के खोदहर ग्राम में 132/33 के0भी0 ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का ज्ञापांक 823 दिनांक 18.07.2019, ज्ञापांक 841 दिनांक 09.10.2020, पत्रांक 1183 दिनांक 18.12.2020 एवं पत्रांक 579 दिनांक 04.07.2022

महाशय,

पंचम स्मार

प्रासंगिक पत्रों का कृपया निदेश करें। विषयगत प्रस्ताव में वन विभागीय पत्रांक 2717 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निम्नवत् तीन परियोजनाओं के संबंध में CA से संबंधित पृच्छा की गयी है -

1. हजारीबाग जिलान्तर्गत केरेडारी प्रखण्ड के पाण्डेयपुरखुर्द में 132/33 के0वी0 ग्रीड सब स्टेशन (GSS) निर्माण (4.04 हे0)।
2. चतरा जिलान्तर्गत मौजा-बोंडा, थाना-हंटरगंज में 132/33 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण (4.04 हे0)।
3. हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रमण्ड के खोदहर ग्राम में 132/33 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण (4.04 हे0)।

उपरोक्त तीन प्रस्तावों में वनभूमि अपयोजन के लिए CA हेतु चिन्हित गैर वन भूमि का नक्शा (DGPS, KML सहित) अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं CA की योजना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है। विभाग द्वारा इस संबंध में बार-बार स्मारित किया जा रहा है।

प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न भेजते हुए पुनः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन इस कार्यालय में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S. S.
4.8.22

पत्रांक:- 579 दिनांक:- 04/7/2022

वन प्रगंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी/चतरा उत्तरी।

दिनांक 04/7/2022

ज्ञापांक 579

प्रतिलिपि:- M/S JUSNL, कार्यपालक
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक: 2584

दिनांक: 22/07/2022

सेवा में,

वरीय प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल,
श्रृंगारी कॉम्पलेक्स,
प्रथम तल, कनहरी हिल पथ,
मोंट फोर्ट विद्यालय के निकट,
हजारीबाग।

विषय:- प्रस्तावित 132/33 के0बी0 ग्रीड सबस्टेशन ग्राम खोडाहार प्रखण्ड बरही, जिला हजारीबाग में रकवा 4.04 हे० वन भूमि अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 3444 29.09.2021 एवं आपका पत्रांक 416 दिनांक 05.10.2021, पत्रांक 205 दिनांक 10.05.2022 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, रांची का पत्रांक 579 दिनांक 04.07.2022, वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रक्षेत्र का पत्रांक 307 दिनांक 08.07.2022 (छाया प्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग के पत्रांक 2717 दिनांक 19.07.2019 द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि का नक्शा (DGPS KML) सहित अनापति प्रमाण पत्र/ उपयुक्तता प्रमाण पत्र क्षतिपूरक वनरोपण योजना के साथ मांग की गई थी। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा मौजा -अडार, थाना नं०-32, खाता संख्या -104, प्लॉट संख्या -2013, रकवा -98.20 एकड़ मध्य रकवा 20 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि को चिन्हित करते हुए अभिलेख समर्पित किया गया था। जिसका स्थलीय सत्यापन वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रक्षेत्र द्वारा अपने पत्रांक 307 दिनांक 08.07.2022 एवं पत्रांक 308 दिनांक 13.07.2022 द्वारा प्रस्तावित स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है (छाया प्रति संलग्न)। जिससे अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

अतः अनुरोध है कि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि का नक्शा (DGPS KML) हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ 08 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन ससमय उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जा सके।

अनु0यथोक्त।

विश्वसभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

७



कार्यालय:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रक्षेत्र।

Email:-rfobarhi1234@gmail.com

पत्रांक- ३०४

दिनांक- 13/7/2022

FCA सेवा में,
14.7.22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल।

विषय:-

हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखण्ड के खोड़ाहार ग्राम में 132/33 के० भी० ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे० वन भूमि अपयोजन के बदले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि का प्रास्तावित मानचित्र समर्पित करने के सम्बन्ध में।

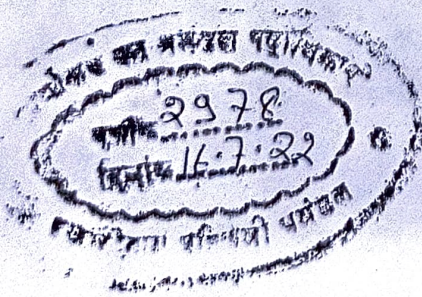
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि बरही प्रखण्ड के खोड़ाहार ग्राम में 132/33 के० भी० ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे० वन भूमि अपयोजन के बदले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु मौजा अडार, थाना बरही (पदमा ओ०पी०) थाना नं० 32 खाता संख्या 104 प्लॉट संख्या 2013 रकवा 98.20 एकड़ मध्ये 20 एकड़ गैर वन भूमि का प्रास्तावित मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

उत्तरित मानचित्र-संलग्न

आपका विश्वासी

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बरही प्रक्षेत्र।





कार्यालय:- वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही प्रक्षेत्र।

Email:-rfobarhi1234@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक- 307

दिनांक- 08/7/2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल।

विषय:-

हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखण्ड के खोड़ाहार ग्राम में 132/33 के 0 भी 0 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे 0 वन भूमि अपयोजन के बदले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 3644 दिनांक 18.10.2021 एवं ज्ञापांक 1986 दिनांक 11.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि बरही प्रखण्ड के खोड़ाहार ग्राम में 132/33 के 0 भी 0 ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे 0 वन भूमि अपयोजन के बदले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अंचल अधिकारी, पदमा का पत्रांक 145 दिनांक 14.07.2020 द्वारा मौजा अडार थाना बरही (पदमा) थाना नं 32 खाता संख्या 104 प्लॉट संख्या 2013 रकवा 98.20 एकड़ मध्ये 20 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म जंगल) चिन्हित कर झारखण्ड उर्जा संचरण, निगम लिमिटेड हजारीबाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया गया है।

दिनांक 08.07.2022 को वनरक्षी श्री बिरेन्द्र कुमार, पदमा दक्षिणी उपखण्ड, प्रभारी वनपाल श्री आनन्द कुमार सिंह, पदमा वन परिसर एवं ग्रामीण जनता के उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौजा अडार थाना बरही (पदमा) थाना नं 32 खाता संख्या 104 प्लॉट संख्या 2013 रकवा 98.20 एकड़ मध्ये 20.00 एकड़ का स्थलीय जाँच किया गया जॉचोपरान्त पाया गया कि प्रस्तावित स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है। इस पत्र के साथ अंचल अधिकारी पदमा का पत्रांक 145 दिनांक 14.06.2022 से प्राप्त मानचित्र एवं नोटिस का छायाप्रति संलग्न।

अतः सूचनाथ समर्पित।

आपका विश्वासी

08/7/22
वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बरही प्रक्षेत्र।

